

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 134 / 2022

धनजी पिता श्री नारेंग, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
उनवान

:-वादी

- (1) श्रीमती कचरी पत्नी हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (2) मेघा पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (3) दलजी पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (4) बदा पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (5) रमेश पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (6) रमण पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (7) शम्भुलाल पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (8) हकसी पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (9) तहसीलदार, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

:- प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक: 12.9.2023


संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विचाराधीन उक्त वाद में निर्णय/प्रारम्भिक डिक्री जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अरथुना को भिजवाई जाने पर तहसीलदार अरथुना द्वारा निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-

क्र0सं0	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा (हे0)
01.	धनजी पिता नारेंग 1/3 जाति भील निवासी पिपलारा रहन 1/3 हिस्सा आई.सी.आई. बैंक शाखा अरथुना	103	0.11
		106	0.12
		138	0.04
		140	0.16
		292/1	0.10
		71	0.12
		80	0.59
		81	0.01
		88	0.03
		93	0.17
	योग	10	1.45

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

02.	कचरी पत्नि स्व० श्री हरजी 1/15, कालिया पिता गलापा 1/3, मथुरेश्वर पिता हरजी 1/15, रमण पिता हरजी 1/15, शंभुलाल पिता हरजी 1/15, हक्सी पिता हरजी 1/15 जाति भील निवासी पिपलारा सा.देह खातेदार	101	0.14
		102	0.11
		104	0.10
		105	0.08
		107	0.11
		139	0.11
		292	0.21
		61	0.33
		62	0.12
		68	0.12
		69	0.02
		70	0.11
		72	0.19
		73	0.02
		87	0.02
		89	0.05
		90	0.12
		91	0.36
		94	0.10
95	0.12		
96	0.05		
97	0.05		
99	0.11		
	योग	23	2.75
03.	कचरी पत्नि स्व० श्री हरजी 1/15, कालिया पिता गलापा 1/3, धनजी पिता नारंग 1/3 (रहन हिस्सा 1/3 आई.सी.आई. बैंक शाखा अरथूना), मथुरेश्वर पिता हरजी 1/15, रमण पिता हरजी 1/15, हक्सी पिता हरजी 1/15 जाति भील सा.देह खातेदार	100	0.01 (कुंआ)
		247	0.26
		योग	02 0.27 (संयुक्त)


तहसीलदार, अरथूना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का पादेड़ी के मौजा पिपलारा की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 67 (नया) 58 (पुराना) के सर्वे नम्बरान् उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।


(अन्नु शर्मा)
उपस्थानक अधिकारी,
गढ़ी, जिला बंसवाड़ा

आदेश

तहसीलदार, अरथूना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का पादेड़ी के मौजा पिपलारा की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 67 (नया) 58 (पुराना) के सर्वे नम्बरान् उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री पृथक से जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार गढ़ी को भिजवाई जाती है।।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2023 को जारी किया गया।


उपस्थानक अधिकारी,
गढ़ी, जिला बंसवाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे की इक्वजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गद्दी व इजलास : अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 134/2022

धनजी पिता श्री नारेंग, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा,
तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

उनवान

:-वादी

- (1) श्रीमती कचरी पत्नी हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (2) भेघा पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (3) दलजी पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (4) बदा पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (5) रमेश पिता कालिया जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (6) रमण पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (7) शम्भुलाल पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (8) हकसी पिता हिरजी, जाति भील, आयु वयस्क, निवासी पिपलारा, पटवार हल्का कोटडा, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।
- (9) तहसीलदार, तहसील अरथुना, जिला बांसवाड़ा।

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

:- प्रतिवादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि पटवार हल्का पादेड़ी के मौजा पिपलारा की खाता संख्या 67 (नई) 58 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान् की भूमि नीचे वर्णित अनुसार खातेदारान् के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है:-

दिनांक: 12.9.2023


क्र०सं०	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा (हे०)
01.	धनजी पिता नारेंग 1/3 जाति भील निवासी पिपलारा रहन 1/3 हिस्सा आई.सी.आई. बैंक शाखा अरथुना	103	0.11
		106	0.12
		138	0.04
		140	0.16
		292/1	0.10
		71	0.12
		80	0.59
		81	0.01
		88	0.03
		93	0.17
	योग	10	1.45

उपखण्ड अधिकारी
गद्दी, जिला बांसवाड़ा


02.	कचरी पत्नि स्व० श्री हरजी 1/15, कालिया पिता गलापा 1/3, मथुरेश्वर पिता हरजी 1/15, रमण पिता हरजी 1/15, शंभुलाल पिता हरजी 1/15, हकरी पिता हरजी 1/15 जाति भील निवारी विपलारा सा.देह खातेदार	101	0.14
		102	0.11
		104	0.10
		105	0.08
		107	0.11
		139	0.11
		292	0.21
		61	0.33
		62	0.12
		68	0.12
		69	0.02
		70	0.11
		72	0.19
		73	0.02
		87	0.02
		89	0.05
		90	0.12
		91	0.38
		94	0.10
		95	0.12
96	0.05		
97	0.05		
99	0.11		
योग		23	2.75
03.	कचरी पत्नि स्व० श्री हरजी 1/15, कालिया पिता गलापा 1/3, धनजी पिता नारंग 1/3 (रहन हिस्सा 1/3 आई.सी.आई. बैंक शाखा अरथूना), मथुरेश्वर पिता हरजी 1/15, रमण पिता हरजी 1/15, हकरी पिता हरजी 1/15 जाति भील सा.देह खातेदार	100	0.01
		247	(कुंआ) 0.26
		योग	

इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी कर वास्ते पालनार्थ तहसीलदार अरथूना को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.9.2023 को जारी किया गया।


उपस्थित अधिकारी
उपस्थित अधिकारी
गद्दी, जिला कसबाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य


उपस्थित अधिकारी
गद्दी, जिला कसबाड़ा

12.9.23.

पत्रावली पेस डूही तावी तळिन उपरिधत । पूरुण
में तहसीलदार अरबुण द्वारा १७.०० की पालना में
प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय / शंतिम
डिही प्रपुठ से जारी कर पत्रावली प्रमाण शुमार कर
दाखिल दफतर की जाती है।

उपस्थित अधिकारी
करी, जिहा तहसीलदार